कार्यालय संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांकः–सं0नि0 / स्कू0शि0 / भरत / शै0प्र0 / 2020 / 435 दिनांकः– 9 .10.2020

जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक ,
भरतपुर, धौलपुर,
करौली एवं सवाई माधोपुर।

विषयः– बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGES) सत्र 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 बालिकाओं की मैच्युरिटी भुगतान हेतु सूचना तैयार कर भिजवाने बावत्।

प्रसंगः– क्रमांकः– शिविरा / माध्य. / छा.प्रो.प्र / बा.प्रो.यो. / सी.एस.एस / एफ.डी. आर / 2018–19 दिनांक 08.10.2020

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के सम्बंध में लेख है निदेशालय बीकानेर जिला अधिकारी (माध्यमिक) भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं सवाई माधोपुर को निर्देशित किया जाता था कि केन्द्र प्रवर्तित बालिका प्रोत्साहन योजना बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGES) के तहत सत्र 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 की समस्त पात्र बालिकाएं जिन्होंने 10 वी कक्षा उत्तीर्ण कर ली है एवं जिन्होनें दिनांक 30.06.20 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हैं उन्हें मैच्योरिटी भुगतान किया जाना है। इस सम्बंध में आपके कार्यालयों से उक्त समस्त पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव पूर्ण जांचोपरान्त निर्धारित 14 कॉलम के संलग्न प्रपत्र में दिये कॉलमों में प्रविष्टि करते हुए बैंक खातों एवं आधार कार्ड नम्बर सहित M.S.EXCEL , Times New Roman Font Size 10 प्राप्त कर निदेशालय की ई–मेल deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर 22.10.2020 तक भिजवानें हेतु प्रासंगिक पत्र निर्देशित किया गया था। खेद का विषय हैं कि उक्त सम्बंध में चाही गयी सूचनाऐं आज दिनांक तक निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त नही होने के कारण प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मत्रांलय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार को प्रेषित नहीं हो पा रहे हैं।

अतः प्रासंगिक पत्र व निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न कर लेख है कि चाही सूचना तैयार कर इस कार्यालय को तत्काल ही प्रेषित करें । ताकि सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जा सके।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करें।

सलंग्नः–

1. निदेशालय का पत्रांक
2. 14 कॉलम प्रपत्र

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
भरतपुर संभाग भरतपुर

क्रमांकः–सं0नि0 / स्कू0शि0 / भरत / शै0प्र0 / 2020 / 435 दिनांकः– 9 .10.2020

1. प्रभारी अधिकारी (छांत्रवृति) माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
2. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर, धौलपुर, करौली सवाई माधोपुर को पत्र भेजकर लेख है कि उक्त सूचना तैयार करने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक को पाबन्द करें।

www.rajteachers.com

संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)
भरतपुर संभाग भरतपुर

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा /माध्य./छा.प्रो.प्र/बा.प्रो.यो../सी.एस.एस./एफ.डी.आर/2018–19/ दिनांक 08.10.2020

समस्त संयुक्त निदेशक
स्कूल शिक्षा, संभाग मण्डल क्षेत्र

स्मरण पत्र/अतिआवश्यक

विषयः– बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) सत्र 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 की पात्र बालिकाओं की मैच्युरिटी भुगतान हेतु सूचना तैयार कर भिजवाने बाबत्।

प्रसंगः– इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 22.09.2020 के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपके अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय को निर्देश दिये गये थे कि केन्द्र प्रवर्तित बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) के तहत सत्र 2012–13, 2013–14, 2014–15, 2015–16 व 2016–17 की समस्त पात्र बालिकाएं जिन्होंने 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है एवं जिन्होनें दिनांक 30.06.20 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हैं उन्हें मैच्योरिटी भुगतान किया जाना है। इस सम्बन्ध में अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय कार्यालयों से उक्त समस्त पात्र बालिकाओं के प्रस्ताव पूर्ण जांचोंपरान्त निर्धारित 14 कॉलम के संलग्न प्रपत्र में दिये कॉलमों को पूर्ण भरते हुए बैंक खातों एवं आधार कार्ड नम्बर सहित **M.S.Excel ,Times New Roman Font Size 10** में प्राप्त कर इस कार्यालय की ई–मेल deo.scholar.dse@rajasthan.gov.in पर 25.09.2020 तक भिजवाने हेतु प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था। खेद का विषय हैं कि उक्त सम्बन्ध में चाही गयी सूचनाऐं आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त नही होने के कारण प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार को प्रेषित नही हो पा रहे हैं।

प्रासंगिक पत्र व निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्न कर निवेदन है कि अपने सम्बन्धित अधीनस्थ समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय से चाही गयी सूचना संकलित कर इस कार्यालय को प्रेषित करने का श्रम करें ताकि सूचना मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करवाई जा सके।

इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करने का श्रम करें।

सलंग्न–14 कॉलम प्रपत्र

8.10.2020

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ :–

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक–मुख्यालय को निर्देशित किया जाता है इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक दिनांक 22.09.2020 के क्रम में चाही गई सूचना अपने **संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को तत्काल प्रेषित करे**
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अपने अधीनस्थ जिला शिक्षा अधिकारियों से सूचना को मण्डल के संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा कार्यालय में प्रेषित करवाने का श्रम करें।

8.10.2020

प्रभारी अधिकारी (छात्रवृत्ति)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

www.rajteachers.com

National scheme of Incentive to Girls for Secodary Education-Proforma for making payment

Academic year:

District:

(To be filled in M.S.Excel ,Times New Roman Font Size 10)

S.No.	Full Name in English	Name of School	Home Address	District	State	Category: SC/ST/General	Bank Name	IFSC Code	Account Number	Aadhar Number*	Payment Amount*	Father's Name	Beneficiery's DOB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

यह प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र प्रवर्तित बालिका प्रोत्साहन योजना (NSIGSE) के तहत् वर्ष .... की पात्र बालिकाओं का नाम पूर्व में इस कार्यालय द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। सूचना के दोहरीकरण की स्थिति में जिम्मेदारी अद्योहस्ताक्षरकर्ता की होगी।

www.rajteachers.com

हस्ताक्षर मय मोहर